

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय – परिसर में गार्डन के
रख-रखाव के वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु निविदा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

निविदा फार्म

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय – परिसर में गार्डन के
रख-रखाव के वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु निविदा।

निविदा प्राप्त करने वाली फर्म का नाम

मैसर्स

.....

.....

टेलीफोन नं.

एस.टी.डी. कोड

फैक्स नं.

निविदा प्रपत्र शुल्क- 500/-

(अक्षरे पाँच सौ रूपये मात्र)

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर

निविदा-फॉर्म

निविदा फॉर्म संख्या

दिनांक

1. राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय – परिसर में गार्डन के रख-रखाव के वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली वाली फर्म का नाम व :
डाक का पता
3. किसको सम्बोधित की गई : प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय,
सेक्टर-11, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर-302033
4. संदर्भ : क्र. :RUHS CMS/Store/2017-18/336 8, Date 27-06-2017
5. निविदा शुल्क की राशि रु. 500/- डी.डी. संख्यादिनांक..... के द्वारा जमा कर दी गई है।
6. हम द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
7. ऊपर उद्धृत की गयी दरें एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य हैं। इस अवधि को पारम्परिक सहमति के आधार पर एक वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकेगा।
8. बोली प्रतिभूति राशि के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या जो(बैंक का नाम) आहरित किया गया है/ /दिनांक रु0 संलग्न है।
9. इसके साथ नियमानुसार टैक्स पंजीयन एवं टैक्स चूकती प्रमाण-पत्र प्रस्तुत है। (यदि लागू हो तो)

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो कॉलेज प्रशासन को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी अमानत राशि जब्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को प्रदत्त करता हूँ/करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

“राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय – परिसर में गार्डन के रख-रखाव के वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु निविदा।”

निविदा की विशिष्ट शर्तें

1. सीलबन्ध निविदायें जिन पर “राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय – परिसर में गार्डन के रख-रखाव के वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु निविदा।” अंकित हो, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 17.07.2017 को दोपहर 02.00 बजे तक डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः प्राप्त हो जानी चाहियें। निर्धारित तिथी एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदायें दिनांक 17.07.2017 को ही अपराह्न 03.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/ अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्मुख खोली जायेंगी।
2. निविदा के साथ निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि रू0 10000/- जो (**Principal RUHS College of Medical Sciences, Jaipur**) के पक्ष में देय डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार्य है, जमा होना आवश्यक है। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में किसी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदा निर्धारित प्रपत्र पर ही प्रस्तुत करनी होगी, जिसे महाविद्यालय की वेबसाईट www.ruhscoms.org या राज्य लोक उपापन पोर्टल की वेबसाईट www.sppp.raj.nic.in से download किया जा सकता है। निविदा शुल्क राशि रू. 500/- का डी.डी. जमा करवाना आवश्यक है। डी.डी. जमा की रसीद टेण्डर के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
4. निविदाएं ‘दो कवर प्रणाली द्वारा’ आमंत्रित की जाती हैं। प्रथम कवर में, जिस पर ‘ तकनीकी बोली, स्पष्ट रूप से अंकित हो, निविदाकार के बारे में सूचना अंतर्विष्ट होगी। पूर्व –योग्यता का मानदण्ड निविदा दस्तावेज का भाग रूप होगा और सक्षम प्रदायकों का छांटने के लिए अधिकथित होगा। दूसरे कवर में, जिस पर ‘वित्तीय बोली’ अंकित होगी, मूल्य उद्घरण देना होगा। प्रथम कवर को पहले खोला जायेगा। निविदा खोलने वाला प्राधिकारी निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट मानदण्ड के आधार पर निविदाकार की क्षमता का मूल्यांकन करेगा और इस आधार पर योग्य निविदाकारों की सूची तैयार करेगा। दूसरा कवर केवल उन निविदाकारों का खोला जायेगा जो निविदा निष्पादित करने योग्य पाये जायेंगे।
5. अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी, कार्य संतोषजनक पाये जाने पर दोनो पक्षों की सहमति से इसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
6. सफल निविदादाता को रू0 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित अनुबन्ध निष्पादित करना होगा तथा अनुमानित लागत रू. 5,00,000.00 की 5 प्रतिशत सुरक्षा (Security) राशि रूपये 25,000/- जमा करानी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

7. विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिसर में गार्डन के वार्षिक रख-रखाव हेतु निम्नानुसार कार्य करने होंगे –
1. महाविद्यालय परिसर में स्थित गार्डन नं. 01, 02, 03 एवं 04 में घास व सजावटी पौधों की कटाई-निराई, पानी का छिड़काव नियमित रूप से करना होगा। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय की दीवार के पास स्थित फुटपाथ पर लगे पेड़-पौधों का रख-रखाव भी किया जावेगा।
 2. गार्डन नं. 01, 02, 03 एवं 04 में प्रत्येक तीन माह में गोबर की खाद, यूरिया, कीटनाशकों आदि का छिड़काव किया जावेगा।
 3. प्रत्येक गार्डन हेतु न्यूनतम एक बागवान की नियुक्ति सेवा प्रदायदाता फर्म द्वारा की जावेगी।
 4. महाविद्यालय में विभिन्न तलों एवं बरामदों में रखे गमलों में लगे पौधों में नियमित रूप से पानी, खाद डाला जावेगा।
 5. विभिन्न ऋतुओं के अनुसार महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये मौसमी पौधे एवं सजावटी फूलवारियों के बीजों का रोपण प्रत्येक गार्डन में किया जावेगा।
 6. प्रतिमाह बिल के साथ नोडल अधिकारी से कार्य सन्तुष्टि रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उक्त रिपोर्ट के अभाव में भुगतान हेतु बिल स्वीकार्य नहीं होगा।
8. नियमित रूप से बिन्दु संख्या 7 के अनुसार कार्य नहीं होने की दशा में उस कार्य की राशि की कटौती की जावेगी तथा इसके अतिरिक्त रूपये 500/- प्रतिदिवस शास्ति लगाई जावेगी जो कि ठेकेदार को दिये जाने वाले भुगतान में से काटी जावेगी।
9. गार्डन के रख-रखाव हेतु निर्धारित संख्या से कम संख्या में कर्मचारी उपस्थित होने की स्थिति में प्रति कार्मिक प्रति दिवस राशि रू. 250/- की शास्ति लगाई जावेगी जो कि ठेकेदार को दिये जाने वाले भुगतान में से काटी जावेगी।
10. निविदादाता को गार्डन के रख-रखाव हेतु समस्त उपकरण, पाईप, खाद, यूरिया एवं कीटनाशक आदि की व्यवस्था अपने स्वयं के खर्चे पर करनी होगी जिसका अलग से कोई भुगतान ठेकेदार को नहीं किया जावेगा।
11. सफल निविदादाता फर्म को कार्यादेश दिये जाने के पश्चात् यदि गार्डन में लगाये गये सजावटी पेड़-पौधे अथवा घास सही रख-रखाव नहीं होने के कारण जल जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में फर्म द्वारा स्वयं के खर्च पर उसी प्रकार के पौधे अथवा घास यथास्थान लगाने होंगे।
12. निविदादाता को अपने कर्मचारियों को वर्दी जिस पर फर्म का नाम अंकित हो ड्यूटी के दौरान पहनानी होगी तथा उनके फोटो सहित पहचान पत्र उपलब्ध कराने होंगे। ड्यूटी के दौरान वर्दी पहन कर नही आने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी पर नहीं लिया जावेगा। यदि फिर भी कोई कर्मचारी बिना

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

वर्दी के कार्य करता हुआ पाया गया तो रूपये 150/- प्रत्येक कर्मचारी प्रतिदिन शास्ति वसूल की जावेगी।

13. यदि निविदादाता द्वारा बीच में कार्य छोड़ दिया जाता है या कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा ठेका निरस्त कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार की प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये किसी अन्य संस्था/फर्म या ठेकेदार से दरें प्राप्त कर उन्हें ठेका दिये जाने हेतु प्रधानाचार्य को पूर्ण अधिकार होगा।
14. निविदादाता को राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 एवं अन्य श्रम सम्बन्धी कानूनों की पूर्ण पालना करनी होगी। तदनुसार प्रावधायी निधि में राशि जमा कराने एवं वित्तीय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार के होंगे। श्रमिकों को राजस्थान राज-पत्र दिनांक 06.11.1999 में प्रकाशित श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.11.1999 में वर्णित एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना आवश्यक होगा तथा श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान प्रधानाचार्य द्वारा मनोनीत व्यक्ति के समक्ष अथवा उसके खाते में करना होगा। इस महाविद्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिल पर ठेकेदार सभी श्रमिकों को गत माह का न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है, सम्बन्धी प्रमाण-पत्र अंकित करना होगा। साथ ही ई.एस.आई., पी.एफ. आदि में जमा की गई राशि का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा, तभी अगले माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
15. श्रम सम्बन्धी कानूनों की पालना न करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना सूचना दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है।
16. निविदादाता द्वारा नियोजित किये गये श्रमिकों द्वारा 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने के पश्चात किसी श्रमिक को हटाये जाने कार्यमुक्त करने की स्थिति में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार नोटिस या नोटिस वेतन तथा छंटनी मुआवजा देने का दायित्व ठेकेदार का होगा।
17. संविदा कार्य पर लगे श्रमिकों की किसी भी कारण मृत्यु हो जाती है या दुर्घटनावश/घायल/ अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी एवं क्षतिपूर्ति /मुआवजा आदि देने का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा। इसके लिये महाविद्यालय किसी भी प्रकार से सहयोगी एवं जिम्मेवार नहीं होगा।
18. कोई निविदादाता किसी भी कार्य दिवस को महाविद्यालय परिसर में कार्य क्षेत्र का निरीक्षण अपनी निविदा देने से पूर्व करना चाहे तो वह ऐसा निरीक्षण कर सकेगा।
19. सफल निविदादाता की सेवायें संतोषजनक नहीं पाये जाने अथवा निविदा एवं संविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये किसी भी समय संविदा को समाप्त किया जा सकता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

20. निविदा के किसी भाग/अंश/शर्त आदि में परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन करने का अधोहस्ताक्षरकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा।
21. टी.डी.एस., सरचार्ज तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले अन्य करों सम्बन्ध में स्रोत पर नियमानुसार कटौती की जायेगी, जिसका निर्धारित प्रमाण पत्र सेवाप्रदाता को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
22. किसी भी विवाद में प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा तथा विवाद का क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही होगा।
23. यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मों या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
24. निविदादाता का पी.एफ. व ई.एस.आई. का पंजीयन संबंधित विभागों में होना आवश्यक हैं तथा श्रमिकों की पी.एफ. व ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का कानूनी एवं वित्तीय दायित्व स्वयं निविदादाता का होगा, महाविद्यालय द्वारा इसके लिये अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
25. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह ठेकेदार स्वयं के खर्च पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार को अपने कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये मानदेय इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकॉर्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
26. यदि ठेकेदार के किसी कृत्य या अपकृत्य से व्यथित होकर कोई कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर प्रशासन को भी पक्षकार बनाता है तो संबंधित न्यायालय में एडवोकेट, जवाब दावा पेश करने में महाविद्यालय पर पड़ने वाला समस्त आर्थिक भार ठेकेदार से वसूल किया जावेगा।
27. निविदादाता द्वारा किसी भी कर्मकार से प्रति दिन 08 घण्टे की अवधि से अधिक सेवाएं नहीं ली जावेगी। ठेकेदार द्वारा जॉब बैसिस कार्य हेतु लगाये गये कर्मकारों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरांत मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने की समस्त जिम्मेदारी व दायित्व ठेकेदार की होगी। इसके लिये सरकार व महाविद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
28. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की सभी शर्तें यथावत लागू होंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1.	निविदादाता का नाम एवं पता :-	
2.	निविदादाता का स्वरूप : व्यक्तिगत / साझेदारी / कम्पनी	
3.	श्रम विभाग रजिस्ट्रेशन संख्या	
4.	ईपीएफ (राजस्थान राज्य का)	
5.	ईएसआई (राजस्थान राज्य का)	
6.	सर्विस टैक्स	
7.	पैन नम्बर	
8.	निविदादाता का रजिस्ट्रेशन वर्ष एवं नं.	
9.	निविदादाता के मुख्यालय एवं शाखाओं का स्थान व पता,	
10.	निविदादाता कार्यालय में उपलब्ध संचार व्यवस्था का विवरण (टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल, इन्टरनेट)	
11.	जमा बोली प्रतिभूति (Bid Security) राशि का विवरण	
12.	टेण्डर फीस का विवरण	

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

वित्तीय निविदा प्रपत्र

1. निविदादाता का नाम :
2. निविदादाता का पता :
3. दूरभाष : (1)
(2)
4. निविदा में उल्लेखित शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय ब्रिकी कर, राजस्थान ब्रिकी कर/सेवा कर (यदि कोई हो) को पृथकतः दर्शाया जावे।

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय – परिसर में गार्डन के रख-रखाव के वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु निविदा।

क्र.स.	कार्य का नाम	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर प्रतिमाह	
		अंको में	शब्दों में
1.	निविदा प्रपत्र में वर्णित शर्तों की पालना करते हुए राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय – परिसर में गार्डन के रख-रखाव के वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु निविदा।		
2.	कर (नियमानुसार)		

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित